न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र:—138 / 2017

GCMS NO:- 2017/00286

दायर दिनांक: 19.09.2017

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

मांगीलाल पुत्र गोपी जाति बलाई निवासी मुण्डली तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

1. हज्यारा पुत्र लोडक्या जाति धोबी निवासी मुण्डली तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैंनवां।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 24.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डली पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 40 की खसरा सं. 312 / 418 रकबा 12 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी उपनी भूमि पर आने जाने व काश्त करने के लिए खसरा सं. 310 में होकर खसरा सं. 309 व 310 के बीच ग्रेवल सडक का उपयोग—उपभोग करता है, खसरा सं. 310 में से रकबा 03—10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के गैर खातेदारी में स्थित है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 खसरा सं. 310 की सम्पूर्ण रकबा 10 बीघा पर ही काबिज होकर प्रार्थी के रास्ते को अवरूद्व कर प्रार्थी को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करता है व कृषि उपकरण जैसे ट्रेक्टर, थ्रेसर, हल—कुली इत्यादि ले जाने से मना करता है। यह वाद का कारण है। अत: प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी को खसरा सं. 312 / 418 पर आने जाने व काश्त करने हेतु कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए 12 फीट चौडा रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं. 310 में होकर परिशिष्ट अ में लाल स्याही से अंकित अनुसार रास्ता तरमीम किया जावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को रास्ते की भूमि में होकर आने—जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेश पेश किया। प्रार्थी ने गवाह सूचि मय शपथ—पत्र, साक्ष्य प्रार्थी मांगीलाल, गवाह प्रार्थी दोलत कुमार, गवाह प्रार्थी जगदीश के बयानो के शपथ पत्र पेश किये एवं बयान दर्ज रिकॉर्ड किये गये।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैंनवां का जवाब / रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 प्राप्त [illegible] जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति जाहिर की। तहसीलदार नैंनवॉ से पुन: मौका रिपोर्ट [illegible] गई। इस रिपोर्ट के अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुताबिक रिकॉर्ड खसरा सं. 309 व 310 में कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा सडक (रोड) से मौके पर मौजूद आबादी से होकर मुजर रहे रास्ते से खसरा सं. 310 प 314 में होकर ग्रेवल सडक बनाई हुई है जिसे हरी स्याही से डॅाटेड दर्शाया गया है। यह कि पूर्व में खसरा सं. 314 रकबा 10–07 बीघा जो चारागाह है, में से प्रार्थी की भूमि की दूरी कम होने से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। यह कि तत्समय खसरा सं. 310 सम्पूर्ण कब्जे काश्त था और उसमें से होकर प्राथी का भूमि तक जाने हेतु कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। खसरा सं. 310 का कुल रकबा 33–15 बीघा है जिसमें खसरा सं. 310/416 रकबा 6 बीघा व खसरा सं. 310/448 रकबा 3–10 बीघा खातेदार दर्ज है एवं 24–05 बीघा सिवायचक दर्ज है जिनकी तत्समय नक्शे में तरमीम भी नहीं हो रही थी। यह कि **DILRMP** योजनान्तर्गत दानों खातेदारो के खसरा खं. 310/416 व 310/448 की तरमीम कर दी गई है। यह कि मौके पर खसरा सं. 310 में से होकर प्रार्थी के खेत तक जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जिस पर से हरी स्याही द्वारा (अनडॅाटेड) रास्ता दर्शाया गया है जिसका रकबा (110 गठठ्ा * 2 गठठ्ा = 11 बिस्वा) अर्थात 11 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की जाती है। प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार कुल 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित खसरा सं. 312/418 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम मुण्डली पटवार मण्ड़ल सादेडा तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 40 की खसरा सं. 312/418 रकबा 12 बीघा भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थी को खसरा सं. 310 में से होकर खेत तक जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जिस पर से हरी स्याही द्वारा (अनडॅाटेड) रास्ता दर्शाया गया है जिसका रकबा (110 गठठ्ा * 2 गठठ्ा = 11 बिस्वा) अर्थात 11 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा। तहसीलदार नैंनवां को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल कर राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner